रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2474] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2015/कार्तिक 29, 1937
No. 2474] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2015/KARTIKA 29, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2015

का. आ. 3126 (अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य के जिला बुल्डाना में लोनार मंथा राज्य राजमार्ग सं. 171 के दाहिने ओर अवस्थित है और 3.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है ;

और लोनार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो डेक्कन प्रायद्वीप के 6 बी केंद्रीय पठार के बाँयोटिक प्रोविज़न का प्रतिनिधित्व करता है और मौसमी प्रभाव के कारण लोनार झील बसाल्टिक चट्टान से निर्मित तीसरी सबसे बड़ी झील है ;

और वन्यजीव अभयारण्य में विविध प्रकार के जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अनेक पर्यावास हैं और इस अभयारण्य की मुख्य वनस्पतियों में अंजन, अशोक, बहेड़ा, बफूल, बेल, चंदन, धावड़ा, गुलमोहर, हिवार और पलास शामिल हैं और यहां मुख्यत: लकड़बग्घा, भेड़िया, तेंदुआ, बंदर, जंगली बिल्ली, गिलहरी आदि रहते हैं ।

और लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातात्विक स्मारकों में पहचाना जाता है जो ऐतिहासिक मंदिरों के रूप में हैं और यह स्थान भू-रूपात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और शोधकर्ताओं को इसके विरचना के संबंध में शोध करने के लिए आकर्षित करता है ;

और, उक्त अभयारण्य के चारों और के क्षेत्र को, इसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा-I में विनिर्दिष्ट हैं को पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में लोनार वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर तक के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उद्योगों या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में महाराष्ट्र राज्य में लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर तक की सीमा के क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर तक की सीमा से 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र के जिला बुल्डाना के 1 ग्राम तक फैला हुआ है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ मुख्य बिन्दुओं का निर्देशांक **उपाबंध** II के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य और इसका पारिस्थितिक संवेदी जोन और जीपीएस निर्देशांक के अक्षांश और देशांतर का मानचित्र **उपाबंध** III और **IIIक** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(ix) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(x) सिंचाई ; और

(xi) लोक निर्माण विभाग

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(6) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजाति क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 10, 20, 27, 28, 29 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना और नई सड़कों के संनिर्माण ;

(iii) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं;

(iv) वर्षा जल संचय ; और

(v) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ;

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभागों के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मार्गनिर्देशों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारि-पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थलों पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन्न विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय प्रतिषिद्ध नहीं किए जाएंगे ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनी प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन्न नहीं होगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(5)	नए बृहत थर्मल और जल विद्युत परियोजना की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्राव और ठोस अपशिष्टों का	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।

	निस्सारण।	
(7)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुबारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन।	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा ; परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ; परंतु यह और भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे।
(12)	मलखात भूमि	नई मलखात भूमि का स्थापन्न प्रतिषिद्ध किया गया है और पुरानी मलखात भूमियां लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगी।
(13)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	कोई संनिर्माण क्रियाकलाप तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा 1 से 10 से अधिक पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी के तटों और प्राकृतिक नाला से 100 मीटर तक अन्यथा अनुज्ञात न कर दिया जाए।
(14)	वायु और यानिय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	ध्वनी प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	भूजल का निष्कर्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा।
(18)	विद्यमान स्थापन्न	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	विद्युत लाइनों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाए। पारिस्थितिक संवेदी जोन से गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनें आंचलिक महायोजना के अधीन विहित किए गए समय सीमा में पर्याप्त रूप से विद्युत रोधित किए जाएंगे।
(20)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा और उन्हें सुदृढ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(21)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव, होटल या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों की मुक्त आवाजाही अनुज्ञात करने के अनुक्रम में कांटेदार तार के साथ उनकी सम्पत्ति में कोई बाड़ नहीं लगाई जाएगी और 1 मीटर से ऊंची कोई बाड़ नहीं लगाई जाएगी। इस अनुबंध का अनुपालन करने में किसी विद्यमान बाड़ को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय अनुबंध के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

	संवर्धित क्रियाकिलाप :	
(24)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(25)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(26)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(27)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(28)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(29)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(30)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

5 क. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य में आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) कलक्टर, बुल्डाना – अध्यक्ष ;

(ii) महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधी – सदस्य ;

(iii) महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधी – सदस्य ;

(iv) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य ;

(v) पारिस्थितिकीय पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(vi) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है (विरासत संरक्षण सहित) जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(vii) ज्येष्ठ नगर योजनाकार अधिकारी बुल्डाना – सदस्य ;

(viii) उप वन संरक्षक बुल्डाना (क्षेत्रीय) – सदस्य-सचिव।

ख. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान का उप वन संरक्षक कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं.25/43/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

लोनार पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर पट्टी का उपर्युक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन उत्तरी अक्षांश 19⁰ 58' 40" से 19⁰ 58' 42" और पूर्वी देशातंर 76⁰ 31' 45" से 76⁰ 31' 56" के बीच स्थित है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र और पारिस्थितिक संवेदी जोन में लोनार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नवत है :

दिशा	से घिरा हुआ
उत्तर	लोनार शहर के सर्वेक्षण सं 390, 391, 392, 393, 394 के उत्तर की ओर।
पूर्व	लोनार - गाओथन-लोनार और लोनार शहर के सर्वेक्षण सं. 290, 297, 292, 284, 286, 288 के पूर्व की ओर।
दक्षिण	लोनार शहर के सर्वेक्षण सं. 369, 361 के उत्तर की ओर 358, 343, 375 के दक्षिण की ओर।
पश्चिम	लोनार गांव के सर्वेक्षण सं. 367, 373, 378, 383, 388 के पश्चिम की ओर।

उपाबंध-II

लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची के साथ अक्षांश और देशांतर

क्रम स.	गांव का नाम	देशांतर	अक्षांश
1.	लोनार	उ **76⁰31'20.32"**	उ **19⁰59' 05.90"**

उपाबंध III

लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशांतर तथा जीपीएस निर्देशांक का मानचित्र

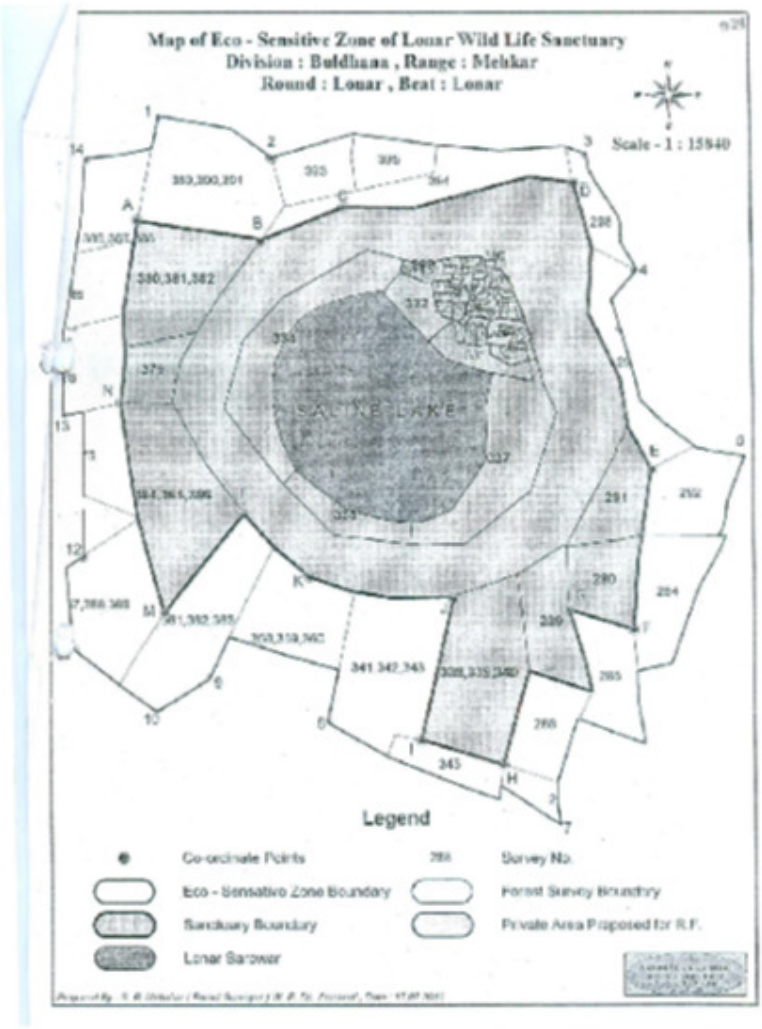

उपाबंध-III **क**

लोनार अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अक्षांश-देशांतर			
क्रम सं.	बिंदु सं.	देशांतर	अक्षांश
1	1	76:29:53	19:59:20
2	2	76:30:11	19:59:14
3	3	76:31:01	19:59:14
4	4	76:31:08	19:58:57
5	5	76:31:25	19:58:29
6	6	76:31:09	19:57:46
7	7	76:30:56	19:57:34
8	8	76:30:19	19:57:49
9	9	76:30:01	19:57:55
10	10	76:29:52	19:57:50
11	11	76:29:39	19:58:00
12	12	76:29:40	19:58:14
13	13	76:29:37	19:58:35
14	14	76:29:41	19:59:14
लोनार अभयारण्य के अक्षांश-देशांतर			
क्रम सं.	बिंदु सं.	देशांतर	अक्षांश
1	ए	76:29:49	19:59:04
2	बी	76:30:09	19:59:01
3	सी	76:30:22	19:59:06
4	डी	76:30:58	19:59:10
5	ई	76:31:10	19:58:27
6	एफ	76:31:07	19:58:03
7	जी	76:30:57	19:58:06
8	एच	76:30:47	19:57:43
9	आई	76:30:34	19:57:46
10	जे	76:30:39	19:58:07
11	के	76:30:16	19:58:11
12	एल	76:30:06	19:58:20
13	एम	76:29:53	19:58:05
14	एन	76:29:46	19:58:37

उपाबंध- IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा - पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों के कार्यवृत्त : उल्लेखनीय बिन्दुओं का उल्लेख करें। अलग उपाबंध पर बैठकों के कार्यवृत्त संलग्न करें।
3. पर्यटन मास्टर प्लान सहित जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की स्थिति
4. भूमि अभिलेख (पारि-संवेदी जोन वार) के ऊपर स्पष्ट त्रुटि के संशोधन हेतु निस्तारित मामलों का सारांश। उपाबंध के रूप में विवरण संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश। उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलग्न किए जाएं।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल न किए गए कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश। उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलगन किए जाएं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2015

S.O.3126(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHERAS, the Lonar Wildlife Sanctuary situated on the right side of Lonar Mantha State Highway No. 171 in Buldana district, Maharashtra is spread over an area of 3.83 square kilometers;

AND WHEREAS, the Lonar Wildlife Sanctuary is ecologically significant which represent biotic provision 6B Central Plateau of the Deccan Peninsula and Lonar Lake is the third biggest Lake formed in basaltic rock due to meteorite impact;

AND WHEREAS, the Wildlife sanctuary has a varied habitat having diversified fauna and flora and the major flora of this sanctuary includes Anjan, Ashoka, Beheda, Babhul, Bel, Chandan, Dhavda, Gulmohar, Hiwar and Palas where Hyaena, Wolf, Leopard, Monkey, Jungle Cat, squirrel comprise the main fauna of the sanctuary;

AND WHEREAS, the Lonar Wildlife Sanctuary has historic temples which are recognized archaeological monuments by Archeological Survey of India and this place being important from geo-morphological point of view, it attracted researchers to conduct research, regarding its formation;

AND WHERAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Lonar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent up to 100

meters around the boundary of the Lonar Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Lonar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 1.92 square kilometers with an extent of upto 100 meters all around the boundary of the Lonar Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure- I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 1 villages falling in Buldana District, State of Maharashtra.

(3) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(4) The maps of the Lonar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone and latitudes and longitudes of GPS coordinates are appended as **Annexure-III and III-A.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(ix) Maharashtra State Pollution Control Board;
(x) Irrigation; and
(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 20, 27,28,29 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) the Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
(ii) the widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
(iii) the cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:
(iv) the rainwater harvesting; and
(v) the small scale industries not causing pollution :

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of

the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) the new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Lonar Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within a period of six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or the Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** The disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at sites identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time-to-time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.

7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts	No new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive zone: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.
12.	Trenching ground	Establishing of new trenching ground is prohibited and old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Protection of hill slopes and river banks	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
14.	Air and Vehicular Pollution	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Existing establishments	Regulated under applicable laws.
19.	Erection of electric lines	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
20.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries	Shall be actively promoted.
25.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
26.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
27.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
28.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
29.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
30.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.

5. A. Monitoring Committee.-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Maharashtra , which shall comprise of the following namely:-

(i) the Collector Buldana – Chairman;

(ii) a representative of the department of Environment, Government of Maharashtra -Member;

(iii) a representative of the department of revenue, Government of Maharashtra, - Member;

(iv) the Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board -Member;

(v) one expert in the area of ecology environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case –Member;

(vi) a representative of Non Governmental organization working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by Government of Maharashtra for a term one year in each case -Member;

(vii) the Senior Town Planner Officer Buldana –Member;

(viii) the Deputy Conservator of Forests Buldana (Territorial) -Member Secretary.

B. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual the taken report of its activities as on the 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F.No. 25/43/2015-ESZ/RE]
Dr. T. CHANDINI,Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARIES OF LONAR ECO-SENSITIVE ZONE

The said Eco-sensitive Zone of 100 meters strip from the boundary of Lonar Wild life Sanctuary situated in the Buldana District of Maharashtra lies between North latitude 19° 58′ 40" to 19° 58' 42" and East longitude 76° 31′ 45" to 76°" 31′ 56". The map of the Eco-sensitive Zone and the description of area falling within 100 meters distance of the boundary of Lonar Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Direction	Bounded by
North	North side of Survey No.390,391,392,393,394 of Lonar Town.
East	Lonar Gaothan-Lonar and East side of Survey No. 290,297,292,284,286,288 of Lonar Town
South	North side of Survey No.369,361 South side 358,343,375 of Lonar Town.
West	West side of 367,373,378,383,388 of Lonar village.

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES ALONG WITH LATITUDES AND LONGITUDES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF LONAR WIDLIFE SANCTUARY

Sr. No.	Name of Village	Longitude	Latitude
1.	Lonar	N 76°31'20.32"	N 19°59' 05.90"

ANNEXURE-III

Map of Eco-Sensitive Zone of Lonar Wildlife Sanctuary with latitudes and longitudes and GPS coordinates

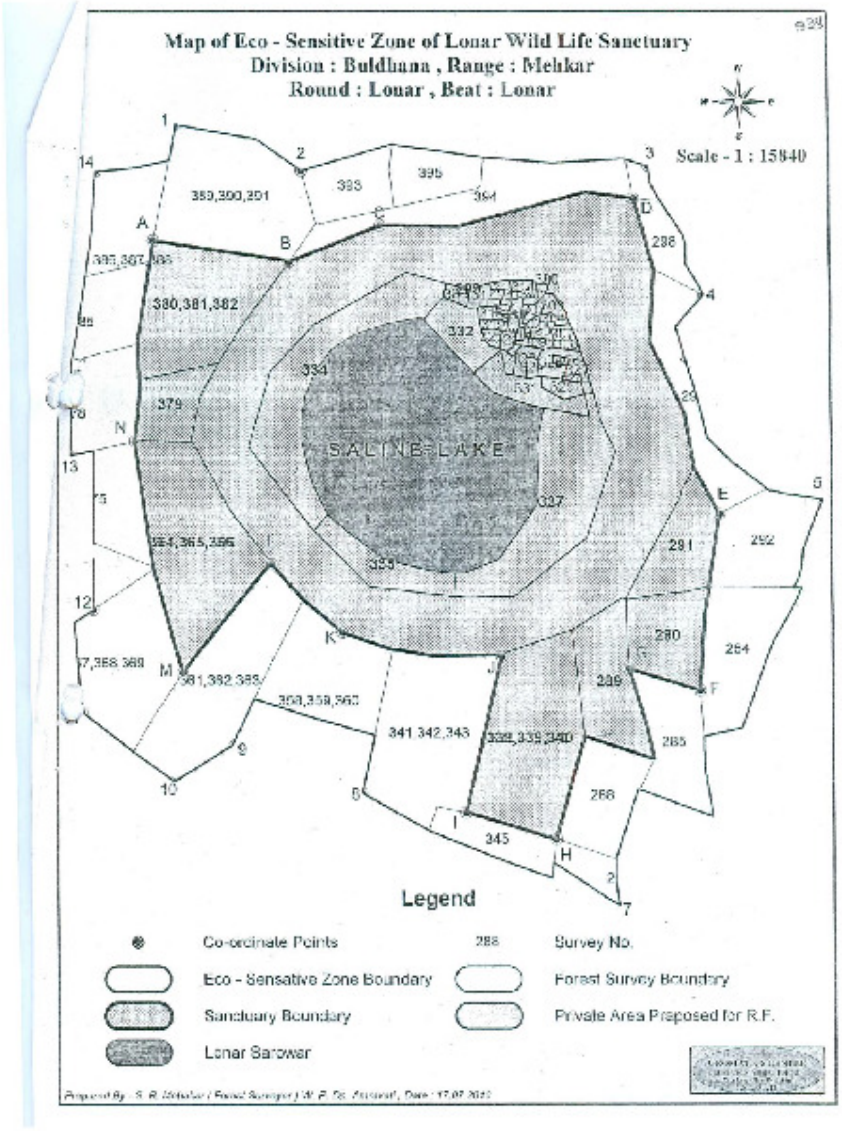

Annexure-III A

Latitude and Longitude of Eco-sensitive Zone of Lonar Sanctuary			
Sr. No.	Point No.	Longitude	Latitude
1	1	76:29:53	19:59:20
2	2	76:30:11	19:59:14
3	3	76:31:01	19:59:14
4	4	76:31:08	19:58:57
5	5	76:31:25	19:58:29
6	6	76:31:09	19:57:46
7	7	76:30:56	19:57:34
8	8	76:30:19	19:57:49
9	9	76:30:01	19:57:55
10	10	76:29:52	19:57:50
11	11	76:29:39	19:58:00
12	12	76:29:40	19:58:14
13	13	76:29:37	19:58:35
14	14	76:29:41	19:59:14
Latitude and Longitude of Lonar Sanctuary			
Sr. No.	Point No.	Longitude	Latitude
1	A	76:29:49	19:59:04
2	B	76:30:09	19:59:01
3	C	76:30:22	19:59:06
4	D	76:30:58	19:59:10
5	E	76:31:10	19:58:27
6	F	76:31:07	19:58:03
7	G	76:30:57	19:58:06
8	H	76:30:47	19:57:43
9	I	76:30:34	19:57:46
10	J	76:30:39	19:58:07
11	K	76:30:16	19:58:11
12	L	76:30:06	19:58:20
13	M	76:29:53	19:58:05
14	N	76:29:46	19:58:37

Annexure-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.